माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश,भोपाल

E-mail: mpbse@mp.nic.in website: www.mpbse.nic.in
☎कार्या.(0755) 2551166–71, फैक्स.–(0755) 2554398, 2552061

क्रमांक/ 2799 /विद्योचित/2020 भोपाल,दिनांक 26 / 11 /2020

//विज्ञप्ति//

वर्तमान में हाईस्कूल में हिन्दी माध्यम के छात्र को हिन्दी विशिष्ट एवं 2 सामान्य भाषा तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्र अंग्रेज़ी विशिष्ट एवं 2 सामान्य भाषा लेकर सम्मिलित होते रहे है तथा हायर सेकेण्डरी के हिन्दी माध्यम के छात्र हिन्दी विशिष्ट एवं 1 सामान्य भाषा तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्र अंग्रेजी विशिष्ट एवं 1 सामान्य भाषा लेकर सम्मिलित होते रहे है। (समूह अ एवं ब अनुसार)

समूह – अ

विशिष्ट भाषा हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी
हिन्दी
अंग्रेजी
संस्कृत
उर्दू

समूह - ब

सामान्य भाषा हाईस्कूल
हिन्दी
अंग्रेजी
संस्कृत
उर्दू
गुजराती
पंजाबी
मराठी
सिंधी

सामान्य भाषा हायर सेकेण्डरी
हिन्दी
अंग्रेजी
संस्कृत
उर्दू
मराठी

पाठ्यचर्या समिति की बैठक दिनांक 24.11.2020 में सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि सत्र 2020-21 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विशिष्ट/ सामान्य भाषा की अनिवार्यताह समाप्त की जाती है। छात्र/छात्राओं का विकल्प की सुविधा दी जाती है। उपरोक्तानुसार विषयों में विशिष्ट एवं सामान्य भाषा में से छात्र कोई भी भाषा का चयन अपनी रूचि के अनुसार कर सकता है अर्थात हाईस्कूल का छात्र कोई भी तीन सामान्य/विशिष्ट भाषा अथवा इनका काम्बिनेशन (2 विशिष्ट 1 सामान्य अथवा 2 सामान्य 1 विशिष्ट) लेकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी का छात्र कोई भी 2 सामान्य/विशिष्ट भाषा अथवा 1 सामान्य एवं 1 विशिष्ट भाषा लेकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगा। छात्र एक ही भाषा को सामान्य एवं विशिष्ट दोनो में नही ले सकेंगा जैसे हिन्दी विशिष्ट के साथ हिन्दी सामान्य , अंग्रेजी विशिष्ट के साथ अंग्रेजी सामान्य, संस्कृत विशिष्ट के साथ संस्कृत सामान्य एवं उर्दू विशिष्ट के साथ उर्दू सामान्य भाषा का चयन नही कर सकेगा।

नोट – *हाईस्कूल में प्रत्येक छात्र को भाषा विषयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी लेना अनिवार्य है।
*हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा में एक भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी लेना अनिवार्य है।

उपसचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

पृ.क्रमांक/ 2800 /विद्योचित/2020 भोपाल,दिनांक 26 / 11 /2020

प्रतिलिपि -:

1- प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

2- निज सचिव, अध्यक्ष / सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ परेषित।

3- आयुक्त,लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।

4- संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् म.प्र. भोपाल।

5- संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।

6- समस्त कलेक्टर, म.प्र.।

7- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल।

8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

9- ऑचलिक अधिकारी, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इंदौर।

10- समस्त संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल,, म.प्र.।

11- समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।

12- जनसम्पर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, की ओर प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।

13- सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल और वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित।

14- समस्त सहायक सचिव/ समन्वय/गोपनीय/डाटा प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपसचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश,भोपाल